



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या- 2121- ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/14-05-ज०श० एवं प्र०सु०/2013 दिनांक 12 सितम्बर, 14

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-126-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2013-05-ज०श० एवं प्र०सु०/2013 दिनांक 12.02.2013 द्वारा निदेशक (वाणिज्य) के नियंत्रणाधीन गठित अनुश्रवण इकाई-आर० ए०पी०डी०आर०पी० योजना पार्ट-ए के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अधिष्ठान एवं वेतन सम्बन्धी कार्य मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के प्रशासनिक नियन्त्रण में वाणिज्य इकाई द्वारा किया जायेगा, एवं उनके वेतन सहित अन्य समस्त देयों से सम्बन्धित बिलिंग एवं भुगतान का कार्य वाणिज्य स्कन्ध के अधिकारियों/कर्मचारियों की अनुरूपता में "केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ" द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

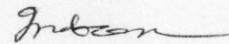
प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 2121(i)- ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन)/वितरण/वाणिज्य/वित्त/पारेषण के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक पश्चिमांचल-मेरठ/मध्यांचल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा तथा केस्को-कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)/मुख्य अभियन्ता, रेस्पो/मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार/शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव (का०प्र०-प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,


(इन्द्रमणि)

उप सचिव (ज०श० एवं प्रशिक्षण)

शक्ति